ग्राम पंचायत सकोह, विकास खण्ड लम्बागांव जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176082 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सकोह, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री सुशील शर्मा	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती मधुवाला	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री कपिल देव	01.04.2022 से 05.05.2022
2	श्रीमती एकता देवी	06.05.2022 से 31.08.2022
3	श्रीमती पूनम	01.09.2022 से 28.02.2023
4	श्रीमती एकता देवी	01.03.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती रीता देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत सकोह के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	4.99
	4.2	14वें वित्तायोग के अन्तर्गत लाखों की राशि को हस्तगत रखना	4.01
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	26.52
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.07
	8.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
4	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.45
5	9.2	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	4.60
6	10.1	व्यक्तिगत लाभार्थियों की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.10
7	10.2	पौधारोपण हेतु क्रय पौधो का हि0प्र0 बागवानी विभाग की विभिन्न पौधो की अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.09
8	11	स्त्रोत पर टी० डी० एस ०की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि	0.09
9	12	विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	6.78
10	13	अनुचित/असमर्थित/समायोजित व्यय प्रविष्टियां (Adjustment voucher) करना	3.02

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सकोह का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 के लिये किया गया था, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 254 में अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त।
2.	4.क,ख	निर्णीत	अभिलेखो की पुष्टि उपरान्त
3.	5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
4.	6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
5.	7	अनिर्णीत	—
6	8	अनिर्णीत	—
7	9	अनिर्णीत	—
8	10	अनिर्णीत	—
9	11	अनिर्णीत	—
10	12	निर्णीत	अभिलेखो की पुष्टि उपरांत।
11	13	अनिर्णीत	—
12	14	अनिर्णीत	—
13	15	अनिर्णीत	—
14	16	अनिर्णीत	—
15	17	अनिर्णीत	—
16	18	अनिर्णीत	—
17	19	अनिर्णीत	—
18	20(i)(ii)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।
19	21	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दी गई है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत सकोह के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.12.2024 से 31.12.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	01/2023	10/2022
2023—24	02/2024	02/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/664 दिनांक—31.12.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक आलमपुर के मल्टीसिटी चैक संख्या 467732 दिनांक 08.01.2025 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/642 दिनांकः—19.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	496268.56	429715.00	925983.56	546505.00	379478.56
2023-24	379478.56	451928.00	831406.56	588764.00	242642.56

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2373301.00	3889647.94	6262948.94	3356341.94	2906607.00
2023-24	2906607.00	3329612.79	6236219.79	3583814.79	2652405.00

कुल योग (1+2)242642.56**+2652405=2895047.56**

(ख). बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹28,95,047.56/- तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹23,96,026.30/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/तीसरां वित	का•के•सह•बैंक आलमपुर	20019004948	268385
2	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक आलमपुर	50056416900	388136
3	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक आलमपुर	50056416864	108647
4	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक आलमपुर	50056416875	17346
5	14वॉं वित्त	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056416784	0
6	15वॉवित्त/पी.एस/	एच.डी.एफ.सी•बैंक	50100349359009	1212335.30

	जेड.पी	सुजानपुर		
7	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			0
8	हस्तगत शेष(14वां वित की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			401177
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹2396026.30
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹2895047.56
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्त्तशेषः–				₹2396026.30
अन्तरः–				499021.26

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹4.99/– लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत सकोह द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹499021.26 का अन्तर रोकड बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/643 दिनांकः–20.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/SAK/2024 दिनांकः–31.12. 2024 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत सकोह के बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। प्रस्तुत **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत व तीसरा वित शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20019004948 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। एवं नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/663 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–04/SAK/2024 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीर्ष वाईज खातों का अनुसंधारण दिया कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ही बैंक खातो का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 14वें वितायोग के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि ₹4.01 लाख को रखने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/– तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

14वां वितायोग की प्रस्तुत की गई आनलाईन रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि **₹401177/-** को हस्तगत दर्शाया गया था, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। रोकड बही में इतनी अधिक राशि का नकद के रूप में पाया जाना, इसके दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस राशि को बैंक में जमा न करवाने से इस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी ग्राम पंचायत को वंचित होना पडाः–

क्र0सं0	मद/अनुदान	रो• ब• पृ•	जिस दिनाँक को दर्शाया गया	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1	14वां वित	निल	01.04.2022 व 31.03. 2024	401177

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/652 दिनांकः–26.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/SAK/2024 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त शेषो बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह मामला विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आश्य के साथ लाया जाता है कि, इसकी गहनता से जांच पड़ताल करने उपरांत तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियो को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्टीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अवधि 2018–19 व अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹4,54,815 से ₹2,68,385 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना सख्यां राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/663 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–04/SAK/2024 दिनांक 31.12.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज

(वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹26.52 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/642 दिनांकः–19.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2 पर संलग्न है ,के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹2652405/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2024	395551
2	एस.डी.पी	31.03.2024	17346
3	एम.पी.लेड	31.03.2024	318532
4	एस.बी.एम	31.03.2024	32489
5	जी.आर.डी.वाई	31.03.2024	10027
6	13वाँवित्त	31.03.2024	242276
7	14वाँवित्त	31.03.2024	423849
8	15वाँवित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1212335
		कुल जोड	**2652405**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/644 दिनांक–21.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र–04/SAK/2024 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः—

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.07 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पत्तिकर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/642 दिनांकः—19.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹7130**/— की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का पंचायत द्वारा बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/648 दिनांकः—26.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—04/SAK/2024 दिनांकः—31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 स्वःस्त्रोत सम्पतिकर/गृहकर से प्राप्त आय ₹0.02 लाख को बैंक में जमा न करवानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को संबंधित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

स्वःस्त्रोत सम्पत्तिकर/गृहकर की रसीद बुकों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार ₹2100 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में कम जमा करवाये गये थे, फलस्वरूप पंचायत स्वः स्त्रोत की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकताः—

क्र0सं0	रसीद संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	प्राप्त आय (₹)	बैंक में जमा राशि (₹)	कम जमा राशि (₹)
1	1800101 से 180100	19	5790	32090	2100
2	127801 से 127883	19	4910		
3.	127901 से 127996	19	5650		
4.	127701 से 127800	19	5710		
5.	232201 से 232300	19	5890		
6.	127601 से 127700	19	5820		
7	232189 से 232195	19	420		
		कुल	**34190**	**32090**	**2100**

इस गम्भीर अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/650 दिनांकः—26.12.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 130113 द्वारा करके सभा निधि खाता सख्या 20019004948 में दिनांक 03.01.2025 को जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो, यह सुनिश्चित किया जाए ।

8.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1600/- की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के

बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण व निम्न तालिका के अनुसार 06 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से न के बराबर राशि वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरो के अनुसार ₹1600 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थेः–

क्र0सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	विवाह शु0 रजि. पृ. स / रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	प्रदीप शर्मा	07.12.24	निल	84	400	00	400
2	मेघा शुकला	22.10.23	24.11.23	88 / 99	400	200	200
3	नवीन कुमार	10.05.22	04.12.23	89	400	00	400
4	अनिल कुमार	22.11.23	12.02.24	91 / 007	400	200	200
5	राहुल बनवाल	04.03.24	22.03.24	94	200	00	200
6	मानशी शर्मा	07.03.24	28.03.24	94	200	00	200
				कुल	**2000**	**400**	**1600**

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 649 दिनांकः–26.12.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सकोह के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 130112 द्वारा करके सभा निधि खाता संख्या 20019004948 में दिनांक 03.01.2025 को जमा करवा दी गई है, जिसकी सभा निधि में जमा की अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है, परन्तु उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित है।

अतः वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाकर सभा निधि में अनियमित जमा करने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2024 / 642 दिनांकः–19.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत सकोह द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान ₹6275

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि आपतिजनक भी है:—

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2022—23	3625
2	2023—24	2650
कुल योग		**6275**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/649 दिनांकः—26.12.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सकोह के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—04/SAK/2024 दिनांकः—31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.45 लाख के स्टॉक का क्रय करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले क्रय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत सकोह के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹45455/— का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/657 दिनांकः—30.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—04/SAK/2024

दिनांकः—31.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹4.60/— लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च्य न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹459675/— का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम ,प्रावधानों एवं समय —समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/659 दिनांकः—30.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—04/SAK/2024 दिनांकः—31.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल

न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 व्यक्तिगत लाभार्थियों की जमीन में कार्य करवाने के लिये सामग्री खरीद हेतु निर्धारित अनुपात से व्यय न करके ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान करना:–

ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या– SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 , Dated:-25-05-2022 के अनुसार The amount of component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula:–Actual unskilled labour cost X 2/3= material cost के अनुसार भुगतान किया किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार करवाये गये कार्यों में उक्त नियमानुार भुगतान न करके ₹9738 का अधिक भुगतान किया गया था:–

अनुदान	वाउचर स0/दि0	बिल स0/दि0	कार्य का नाम	अपेक्षित भुगतान (Unskilled +Material) ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1मनरेगा	निल/21.10.2022	मस्ट्रोल–3722	नि0 गौशाला ओंकार चन्द की जमीन में वार्ड 4	73493 (44096+(44096X 2/3)	74956	1463
2मनरेगा	निल/29.02.2024	211/28.08.2023	पौधारोपण राकेश शर्मा की जमीन में वार्ड 5	72987 (43792+(43792X 2/3)	81262	8275
					कुल जोड	9738

मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामग्री पर अधिक व्यय करने का उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/658 दिनांक:–30.12.2024 द्वारा पंचायत सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 04/SAK/2024 दिनांक:–31.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी की जमीन में कार्य करवाने हेतु खरीदी गई सामग्री के लिये अधिक भुगतान की गई राशि

की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दी जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त किये गये अधिक भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

10.2 पौधारोपण हेतु कय पौधो का हि0प्र0 बागवानी विभाग की वर्ष 2022—23 व 2023—24 की विभिन्न पौधो की अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.09 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/बाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा व हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 44 के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यय करते समय ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण रूप से मितव्ययता बरती जाएगी। इसके अतिरिक्त निदेशक बागवानी विभाग शिमला के पत्र संख्या HDP-NMS(Sale Rate -57)/2021 Vol I व II दिनांक 06.07.2022 तथा दिनांक 01.06.2023 द्वारा अवधि 2022—23 व 2023—24 के लिये विभिन्न पौधो की दरें अनुमोदित की गई थी तथा निदेशक मनरेगा (RDD) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.SMS-1/2022-23/RDD-BA-plantation-6165-6200 दिनांक 14.07.2024 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण सामग्री की खरीद बागवानी विभाग की नर्सरियो/पंजीकृत नर्सरियो से उप—निदेशक बागवानी विभाग/स्थायी बागवानी अधिकारी की सिफारिशो के उपरान्त ही की जाएगी।

चयनित मास 10/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण के लिये विभिन्न पौधे खरीदने हेतु हि0प्र0 बागवानी विभाग की वर्ष 2022—23 व 2023—24 की निर्धारित दरो से पौधे क्रय न करके व अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाये आमंत्रित करके क्रय किये गए। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा निम्नविरणानुसार ₹9170/— का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था। जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता हैः—

अनुदान	वाउचर स0 / दिनांक / बिल स0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	न्यूनतम व अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अनियमित भुगतान ₹
1.मनरेगा	निल / 03. 10.22 / 297	मै0 मदन फ्रूट प्लांटस नर्सरी जूल पपलाह	Sangtra	1000 (20@50)	2000 (20@100)	1000
			Musambi	1000 (20@50)	2000 (20@100)	1000
			Mango(Das herhari	1300 (20@65)	2200 (20@110)	900
			Guava	250 (05@50)	500 (05@100)	250
			Kinnow	1000 (20@50)	2000 (20@100)	1000
2.मनरेगा	निल / 03.10. 2022 / 296	मै0 मदन फ्रूट प्लांटस नर्सरी जूल पपलाह	Guava	600 (12@50)	1200 (12@100)	600
			Sangtra	450 (09@50)	900 (09@100)	450
			Musambi	450 (09@50)	900 (09@100)	450
			Mango(Dasrh,Amarpali)	585 (09@65)	990 (09@110)	405
3.मनरेगा	निल / 29. 02. 2024 / 533	मै0 मदन फ्रूट प्लांटस नर्सरी जूल पपलाह	Litchi	520 (08@65)	960 (08@120)	440
			Sangtra	550 (10@55)	1100 (10@110)	550
			Musambi	550 (10@55)	1100 (10@110)	550
			Kinnow	550 (10@55)	1100 (10@110)	550
			K.Lime(Budded)	250 (05@50)	725 (05@145)	475
4.मनरेगा	निल / 29. 02. 2024 / 534	मै0 मदन फ्रूट प्लांटस नर्सरी जूल पपलाह	Sangtra	550 (10@55)	1100 (10@110)	550
					Total	9170

उक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/660 दिनांकः–30.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/SAK/2024 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण हेतु पौधो का क्रय हि0प्र0 बागवानी विभाग द्वारा निर्धारित दरों से नहीं किये गए है व उक्त पौधो की अनियमित/अधिक खरीद खुले बाजार से की गई है, जिसकी वसूली कर ली जाएगी व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अधिक/अनियमित किये गए भुगतान बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई पौधरोपण सामग्री हेतु की गई अधिक/अनियमित भुगतान की संस्था/विभागीय स्तर पर नियमानुसार समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 स्त्रोत पर टी० डी० एस ०की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.09/- लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानिः-

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट–(278/25)-29056,दिनाक 29-09-18 के अनुसार दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवायों और दोनों की आपूर्ति हेतु₹ 2.5 लाख रुपये से अधिक की अदायगियों से @2% की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप(annexure-A) अनुसार GSTR7 फाइल करने हेतु अभिलेख तैयार करने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत द्वारा "परिशिष्ट -8" अनुसार प्रस्तुत सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विभिन विकास कार्यों के लिये निम्नविवरणानुसार निर्माण सामग्री प्राप्ति की गई थी किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्तिगत आपूर्तिकर्ताओं से स्त्रोत पर कर राशि **₹9967/-** की कटौती (टीडीएस) नहीं की गई थी:-

क्रम स०	वो0/दिनांक	कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम	परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)	स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹)
1.	परिशिष्ट के अनुसार	मै०अमन कांट्रेक्टर टिकर गंधड मरेरा	498345	9967

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/661 दिनांकः–30.12.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सकोह् को तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था , जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/SAK/2024 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भुगतान की गई राशि पर टी.डी.एस की कटौती नहीं की गई है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार जी0एस0टी0 टी.डी.एस की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसे अन्य मामलों की जांच विभागीय/संस्था स्तर पर कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत करवाये गये निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹6.78/– लाख के अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 10/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹678162/–का भुगतान किया गया था, परन्तु उक्त निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.वी.के.वी. वाई.एन	10,13/07,27.10.2022	1390/10.09.2022 मस्ट्रोल सं0–02	कम्पलीशन टिन रूफ जंजघर गांव झीण वार्ड–1	14033	बजट प्राक्कलन,माप पुस्तिका,34–सी
2.एम.पी. लेड	10,11,12/07,27.10.2022	2272,085/11.10.22,26.09.22 मस्ट्रोल सं0–03	निर्माण सराय भवन पार्क के साथ गांव अदराणा वार्ड–2	86320	बजट प्राक्कलन , 34–सी
3.15वां वित	15/22.10.2022	284/15.09.2022	निर्माण डरेन रतनी देवी,अशोक कुमार के घर	8556	माप पुस्तिका, 34–सी

			से खेतो की ओर वार्ड–4		
4.15वा वित	16 / 22. 10.2022	285 / 15.09. 2022	निर्माण बौडी ग्राम पंचायत सकोह वार्ड–4	18600	बजट प्राक्कलन माप पुस्तिका, 34–सी
5.15वां वित	17 / 22. 10.2022	368 / 11.10. 2022	डेन रास्ता विरेन्द्र कुमार के घर से नाला की की ओर करोठी वार्ड–5	10416	माप पुस्तिका, 34–सी
6.पी.एस	18 / 27. 10.2022	369 / 11.10. 2022	निर्माण शैड शिवशनि मंदिर सकोह वार्ड–3	3720	माप पुस्तिका,34–सी
7.पी.एस	19 / 27. 10.2022	370 / 11.10. 2022	निर्माण खेल मैदान सकोह वार्ड–5	22320	माप पुस्तिका
8.मनरेगा	निल / 07. 10.22	मस्ट्रोल–3101	निर्माण सुरक्षा दीवार राज कुमार की जमीन में वार्ड 5	3392	माप पुस्तिका
9.मनरेगा	निल / 07. 10.22	मस्ट्रोल–3106	निर्माण ऐम्बुलेन्स रोड बाबु राम के घर से जंजघर वार्ड–5	20140	माप पुस्तिका, 34–सी
10.मनरेगा	निल / 07. 10.22	मस्ट्रोल–3100	पौधारोपण प्रताप चन्द,सतीश कुमार ,प्रीन वार्ड–3	5724	माप पुस्तिका
11.वी.के. वी.वाई.एन	29,30 / 2 2.02.2024	359,280 / 16.02. 2024,निल	निर्माण डेन सुरजीत कुमार के घर से शमशानघाट करोठी वार्ड–5	37700	माप पुस्तिका, 34–सी
12.एस.डी. पी	6–11 / 2 0,22.02.24	221,222,271,278 ,272,267 / निल, 30.12.23,28.12. 23 मस्ट्रोल–02,निल	निर्माण इंटरलॉक पेवर ब्लॉक जगदीश घर की ओर बेलन मेन रोड वार्ड–2	262226	माप पुस्तिका, 34–सी
13.15वां वित	29,30 / 1 5.02.24	276,279,278 / निल,20.09.23,25.	निर्माण पक्का रास्ता नाले से कशमीर,चमन के घर	43070	माप पुस्तिका, 34–सी

		10.23	की ओर वार्ड–5		
14.15वां वित	32 / 21. 02.2024	241 / 09.02. 2024	अपग्रेड जीपेवल रोड बिहारी के घर से मेन रोड की ओर वार्ड–2	22620	माप पुस्तिका, 34–सी
15.15वां वित	33,34 / 2 1.02.2024	340,283 / 09,22. 02.2024	अपग्रेड जीपेवल रोड लाजो राम घर की ओर वार्ड–3	29190	माप पुस्तिका, 34–सी
16.15वां वित	37 / 27. 02.2024	399 / 01.03. 2024	अपग्रेड डेन सी.सी. भवन लियुण्डा बनवारी घर की ओर वार्ड–3	30160	माप पुस्तिका, 34–सी
17.नरेगा	निल / 29. 02.2024	211 / 16.02. 2024	अपग्रेड रिटेनिंग वॉल अशोक कुमार के घर की ओर वार्ड–3	37700	माप पुस्तिका, 34–सी
18.नरेगा	निल / 29. 02.2024	173 / 23.11. 2023	निर्माण पानी का टैंक रोहित कुमार लियुंण्डा वार्ड–3	22275	माप पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**678162**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत सकोह से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 656 दिनांकः–30.12.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 04 / SAK / 2024 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेखों को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना नियमाविरूद्ध एवं गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये एवं नियमानुसार कृत कार्यवाही सहित वांछित अभिलेख अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 राशि ₹3.02 / –लाख की अनुचित / असमर्थित / समायोजित व्यय प्रविष्टियां (Adjustment voucher) करने बारे :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत के बैंक खातो में से प्रत्येक निकासी की तत्काल रोकडबही में प्राप्ति

की ओर व जमा की अदायगी की ओर प्रविष्टि दर्ज की जाएगी तथा उसकी बैंक पास बुक उचित प्रेषण व निकासी प्रविष्टियों सहित अनुरक्षित की जाएगी।

ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियो के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार राशि ₹302037/– की समायोजित/हस्तांतरण प्रविष्टियां **(Adjustment/Transfer voucher)** व्यय के रूप में की गई दर्शाई गई थी। जिसके समर्थन में कोई बिल/वाउचर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही संबंधित प्रविष्टियां बैंक पासबुक में पाई गई,जोकि एक गम्भीर अनियमितता है व आपतिजनक भी है:–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	आय/व्यय	रोकडबही पृष्ठ संख्या	राशि ₹
1	सभा निधि	पी/6/01.04.2022	व्यय	1	40876
2	वी.के.वी.वाई.एन	पी/4/18.05.2022	व्यय	2	7415
3	एस.डी.पी	पी/1/20.05.2022	व्यय	2	21189
4	एम.पी.लेड	पी/3/01.04.2022	व्यय	1	209885
5	14वां वित	पी/12/31.03.2023	व्यय	12	22578
6	14वां वित	पी/13/31.03.2023	व्यय	12	94
				कुल योग	302037

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/651 दिनांक:–26.12.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सकोह के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 04/SAK/2024 दिनांक:–31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त समायोजित/हस्तांतरण प्रविष्टियों बारे विभाग के उच्चाधिकारियों से चर्चा उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा असमर्थित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त संबंधित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस मामले की विभागीय स्तर पर भी जांच की जायें एवं यथास्थिति अनुसार कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

14. मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व संबंधित सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगी,जिनका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा नहीं

किया गया था। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्टर–रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत सकोह द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्टर–रोल के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1. निम्न अनुदान के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्टर–रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया था जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल, जो कि कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित है

क्र•स•	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	एम.पी.लेड	12/27.10.2022	03	32540
2	एस.डी.पी	11/22.02.2024	निल/6836	33686

2.संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यो के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरों के स्थान पर केवल पंचायत सदस्यो के हस्ताक्षर ही करवाये गए,जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है,जबकि उक्त समितियों का गठन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया था, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार ज़िला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा,जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। अंकेक्षण में उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में वितीय अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/662 दिनांकः–31.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 04/SAK/2024 दिनांक 31.12.2024 द्वारा अवगत करवाया कि मस्टर–रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

15. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट–"8"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप–पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/663 दिनांक:–31.12.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सकोह को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–04/SAK/2024 दिनांक:–31.12.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये निर्माण कार्यो के प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

16 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/642 दिनांकः 19.12.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—04/SAK/2024 दिनांकः—31.12.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, फलस्वरूप लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	लैजर खाते,अधूरे प्रस्तुत	7	29(1)
3.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
5	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	अनुदान रजिस्टर हि॰प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	8	34
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
11	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
12	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
13	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

14	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
15	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/642 दिनांकः–19.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/SAK/2024 दिनांकः–31.12. 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

18.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत सकोह द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत सकोह के चयनित मासो 10/2022 व 02/2024 के मनरेगा व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022—23 व 2023—24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18.3 आमंत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर की तुलना में अधिक दर से ₹340/— का अधिक भुगतान करना।

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा 15वां वित अनुदान से निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया थाः—

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.15वां वित	38/27. 02.2024	मै0 अमन ठेकेदार टिकर गधंड मरेरा	तुडवा पत्थर	1700 (170@10)	2040 (170@12)	340

उपरोक्त बिल/वाउचर की आमंत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर से भुगतान न करके अधिक दर से **₹**340/— का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/663 दिनांकः—31.12.2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—04/SAK/2024 दिनांकः—31.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि न्यूनतम निविदा द्वारा भुगतान न करके अधिक दर द्वारा भुगतान किया गया था, जिसकी

वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अधिक किये गए भुगतान बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

20 **निष्कर्षः**— लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

24 FEB 2025
1816—1820 का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)258/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सकोह, विकास खण्ड लम्बागाँव जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति0

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या - 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP SAKOH BLOCK LAMBAGAON DISTT. KANGRA (HP)-176096 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	496268.56	429715.00	925983.56	546505.00	379478.56
2023-24	379478.56	451928.00	831406.56	588764.00	242642.56

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2373301.00	3889647.94	6262948.94	3356341.94	2906607.00
2023-24	2906607.00	3329612.79	6236219.79	3583814.79	2652405.00

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या "6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP.SAKOH BLOCK LAMBAGAON DISTT. KANGRA(H.P)FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	22996.00	455758.00	478754.00	167080.00	311674.00
		2023-24	311674.00	566378.00	878052.00	482501.00	395551.00
2	SDP	2022-23	21289.00	154512.00	175801.00	140846.00	34955.00
		2023-24	34955.00	329952.00	364907.00	347561.00	17346.00
3	MPLAD	2022-23	390926.00	183785.00	574711.00	278491.00	296220.00
		2023-24	296220.00	42953.00	339173.00	20641.00	318532.00
4	SBM	2022-23	32489.00	0.00	32489.00	0.00	32489.00
		2023-24	32489.00	0.00	32489.00	0.00	32489.00
5	GRDY	2022-23	10027.00	0.00	10027.00	0.00	10027.00
		2023-24	10027.00	0.00	10027.00	0.00	10027.00
6	13TH FC	2022-23	242276.00	0.00	242276.00	0.00	242276.00
		2023-24	242276.00	0.00	242276.00	0.00	242276.00
7	14TH FC	2022-23	584647.00	0.00	584647.00	160798.00	423849.00
		2023-24	423849.00	0.00	423849.00	0.00	423849.00
8	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1068651.00	1362223.00	2430874.00	875757.00	1555117.00
		2023-24	1555117.00	363518.00	1918635.00	706300.00	1212335.00
9	MGNREGA	2022-23	0.00	1733369.94	1733369.94	1733369.94	0.00
		2023-24	0.00	2026811.79	2026811.79	2026811.79	0.00

नोट:- दिनांक 01-4-2022 को 14th FC का अवशेष रु = 584647 [[illegible] = 401177/- ; (2) कैश बही - 183470/-] को मिलान किया गया है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सकोह
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

30

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या 4·1(क))

कार्यालय ग्राम पंचायत सकोह विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176082

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत सकोह के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	**बैंक शेष 01.04.22 को**	**बैंक शेष 31.03.24 को**
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित	का•के•सह•बैंक आलमपुर	20019004948	454815	268385
2	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक आलमपुर	50056416900	15581	388136
3	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक आलमपुर	50056416864	181041	108647
4	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक आलमपुर	50056416875	100	17346
5	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक लम्बागांव	50056416784	36307.59	0
6	15वाँवित्त/पी.एस/जेड.पी	एच.डी.एफ.सी•बैंक सुजानपुर	50100349359009	1058633.30	1212335.30
7	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			577.56	0
8	हस्तगत शेष(14वां वित की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			401177	401177
			कुल योग	**2148232.45**	**2396026.3**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सकोह
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रधान
ग्राम पंचायत सकोह

31

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या – "7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत सकोह विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176082

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 592 व 2023–24 में 599 परिवारों का रु 50/60/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	5450	592	50/60	34490	39940	34380	5560
2023–24	5560	599	50/60	34910	40470	33340	7130
	नोटः– दिनाँक 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹7130**/– है।						

2022–23 एपी.एल– **489X60=29340**
बी.पी.एल– **103X50 =5150**

2023–24 ए.पी.एल– **496X60=29760**
बी.पी.एल– **103X50 =5150**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सकोह
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

32

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या – 4.20)

कार्यालय ग्राम पंचायत सकोह विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176082

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	3625/-
2	2023–24	2650/-
	कुल	6275/-

83

परिशिष्ट–"6" (पैरा संख्या – 9.1")

ग्राम पंचायत सकोह विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.SDP	12/07.10.2022	Cement Carriage	083/26.07.2022	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	125	35	4375	एक निविदा प्रस्तुत की गई
2.VKVNY	09/07.10.2022	RCC Sign Board	488/12.03.2022	M/s Mohindera Industry Kuthan			1250	एक निविदा प्रस्तुत की गई व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.MPLAD	11/07.10.2022	Cement Carriage	085/26.09.2022	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	50	35	1750	एक निविदा प्रस्तुत की गई
4.NREGA	Nil/29.02.2024	Cement Carriage	300/05.09.2023	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	50	40	2000	एक निविदा प्रस्तुत की गई
5.VKVNY	30/22.02.2024	Cement Carriage	280/Nil	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	100	40	4000	एक निविदा प्रस्तुत की गई
6.SDP	09/22.02.2024	Cement Carriage	271/30.12.2023	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	60	40	2400	एक निविदा प्रस्तुत की गई
7.15TH FC	27/15.02.2024	Cement Carriage	269/20.02.2023	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	30	40	1200	एक निविदा प्रस्तुत की गई
8.15TH FC	29/15.02.2024	Cement Carriage	279/20.09.2023	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	25	40	1000	एक निविदा प्रस्तुत की गई
9.15TH FC	34/21.02.2024	Cement Carriage	283/22.02.2024	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	70	40	2800	एक निविदा प्रस्तुत की गई
10.15TH FC	36/22.02.2024	Cement Carriage	282/29.02.2024	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	60	40	2400	एक निविदा प्रस्तुत की गई
11.NREGA	Nil/29.02.2024	ERW Pipe(Including	2267/09.11.2023	M/s Rohit Trading Co.Alampur Jaisinghpur	90	65.997	5939.73	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		GP Sheet(Including			70	83.426	5839.82	
12.15TH FC	Nil/29.02.2024	Cement Carriage	270/05.06.2023	M/s Aman Contractor Tikker Gander Marera	300	35	10500	एक निविदा प्रस्तुत की गई
						G/Total	45454.55	

सचिव
ग्राम पंचायत सकोह
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रधान
ग्राम पंचायत सकोह
वि० ख० लम्बागांव कांगड़ा हि०प्र०

34

परिशिष्ट - 7 (पैरा संख्या "9.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत सकोह विकास खंड लम्बागाँव द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री

1.NREGA

Sr.No.	Voucher No/Date	Supplier	Bill /Date	Material	Quantity (cft)	Rate	Amount
1	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	303 ,20/09/2023	Cr. Sand	170	50	8500
				Cr.Agg.	100	40	4000
2	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	304 5/10/2023	Cr.Sand	150	50	7500
				Cr. Agg.	150	40	6000
3	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	302, 20/12/2023	Cr.Sand	100	50	5000
				Cr. Agg.	125	40	5000
4	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	301, 5/1/2024	Cr.Sand	145	50	7250
				Cr. Agg.	150	40	6000
5	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	305, 20/12/2023	Cr.Sand	150	50	7500
				Cr. Agg.	150	40	6000
6	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	310 ,5/9/2023	Cr.Agg.20mm	300	41	12300
				Cr.Agg. 40mm	300	40	12000
				Cr. Sand	320	50	16000
7	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	311 ,5/9/2023	Cr.Agg.20mm	300	41	12300
				Cr.Agg. 40mm	200	40	8000
				Cr. Sand	300	50	15000
8	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	308, 20/01/2024	Cr.Sand	150	50	7500
				Cr. Agg.	150	40	6000
9	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	266 05/05/2023	Cr.Agg.20mm	300	41	12300
				Cr.Agg. 40mm	300	40	12000
				Cr. Sand	250	50	12500
				Gatka 90/63	150	40	6000
10	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	281 05/05/2023	Cr.Agg.20mm	250	41	10250
				Cr.Agg. 40mm	230	40	9200
				Cr. Sand	360	50	18000
				Gatka 90/63mm	300	40	12000
11	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	307/05.06.2023	Cr.Sand	140	50	7000
				Cr. Agg.	110	40	4400
12	Nil/29/02/2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	306/05.06.2023	Cr.Sand	110	50	5500
				Cr. Agg.	85	41	3485
						TOTAL (1)	**264485**

2.SDP,15THFC

Sr.No.	Voucher No/Date	Supplier	Bill /Date	Material	Quantity (cft)	Rate	Amount
1	9/22.02.2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	278/28.12.2023	Cr.Sand	691	50	34550
				Cr. Agg.	200	40	8000
2	9/22.02.2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	272/30.12.2023	Cr.Sand	600	50	30000
				Cr. Agg.	200	41	8200
				Cr.Agg 40mm	200	40	8000
3	28/15.02.2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	274/08.11.2023	Cr.Sand	380	50	19000
				Cr. Agg.10/20mm	260	41	10660
				Cr.Agg 40mm	260	40	10400
4	30/15.02.2024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	278/25.10.2023	Cr.Sand	440	50	22000
				Cr. Agg.40/20mm	370	41	15170
				Cr.Agg 40mm	60	40	2400

Technical Assistant
G.P.......Sakoh.....
Dev. Block Lambagaon

G.R.S.
Reeta

विकास खण्ड लम्बागाँव
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रधान
ग्राम पंचायत सकोह

5	38/27.02.2 024	Aman Kumar vill. Jihan P.O.Gander	284/16.10.20 23	Cr.Sand	230	50	11500
				Cr. Agg.10/20mm	110	41	4510
				Cr.Agg 40mm	270	40	10800
						TOTAL (2)	195190
						TOTAL (1+2)	459675

नोटः- उपरोक्त सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा वैध ट्रांजिट पास X या W प्राप्त किये बिना ही क्रय की गई है।

...nnical Assistant
G.P.......Sakoh....
Dev. Block Lambagaon

G. R.S.
Recd

Sushil
Shane

कार्यालय ग्राम पंचायत सकोह विकास खंड लम्बागाँव टी.डी.एस की कटोती न करने से राजस्व हानि

1.NREGA

Sr.No.	Voucher No/Date	Name of Supplier	Bill /Date	Material	Quantity (cft/sqf)	Rate	Amount
1	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	303 ,20/09/202	Cr. Sand	170	50	8500
				Cr.Agg.	100	40	4000
2	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	304 5/10/2023	Cr.Sand	150	50	7500
				Cr. Agg.	150	40	6000
3	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	302, 20/12/2023	Cr.Sand	100	50	5000
				Cr. Agg.	125	40	5000
4	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	301, 5/1/2024	Cr.Sand	145	50	7250
				Cr. Agg.	150	40	6000
5	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	305, 20/12/2023	Cr.Sand	150	50	7500
				Cr. Agg.	150	40	6000
6	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	300,05/09/2023	Cement Carriage	50	40	2000
7	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	310 ,5/9/2023	Cr.Agg.20mm	300	41	12300
				Cr.Agg. 40mm	300	40	12000
				Cr. Sand	320	50	16000
				Shuttering	500	14	7000
8	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	311 ,5/9/2023	Cr.Agg.20mm	300	41	12300
				Cr.Agg. 40mm	200	40	8000
				Cr. Sand	300	50	15000
9	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	308, 20/01/2024	Cr.Sand	150	50	7500
				Cr. Agg.	150	40	6000
10	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	266 05/05/2023	Cr.Agg.20mm	300	41	12300
				Cr.Agg. 40mm	300	40	12000
				Cr. Sand	250	50	12500
				Gatka 90/63	150	40	6000
11	Nil/29.02.2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	270/05.06.2023	Cement Carriage	300	35	10500
12	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	281 05/05/2023	Cr.Agg.20mm	250	41	10250
				Cr.Agg. 40mm	230	40	9200
				Cr. Sand	360	50	18000
				Gatka 90/63mm	300	40	12000
13	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	307/05.06.2023	Cr.Sand	140	50	7000
				Cr. Agg.	110	40	4400
14	Nil/29/02/2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	306/05.06.2023	Cr.Sand	110	50	5500
				Cr. Agg.	85	41	3485
						TOTAL (1)	283985

2VKVNY.SDP,15THFC

1	30/22.02.2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	280/Nil	Cement Carriage	100	40	4000
2	09/22.02.2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	271/30.12.2023	Cement Carriage	60	40	2400
	9/22.02	Aman Contractor	278/28.12.2	Cr.Sand	691	50	34550

ग्राम रोजगार सेवक Reeta
ग्राम पंचायत Sakoh
विकास खण्ड लम्बागाँव

37

हस्ताक्षर Sushil Sharma
दिनांक..........

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सकोह
विकास खण्ड लम्बागाँव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

3	9/22.02. 2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	278/28.12.2 023	Cr. Agg.	200	40	8000
4	9/22.02. 2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	272/30.12.2 023	Shuttering	205	14	2870
				Cr.Sand	600	50	30000
				Cr. Agg.	200	41	8200
				Cr.Agg 40mm	200	40	8000
5	27/15.02 .2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	269/20.02.2 023	Cement Carriage	30	40	1200
6	28/15.02 .2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	274/08.11.2 023	Cr.Sand	380	50	19000
				Cr. Agg.10/20mm	260	41	10660
				Cr.Agg 40mm	260	40	10400
7	29/15.02 .2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	276/Nil	Shuttering	179	14	2500
8	29/15.02 .2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	279/20.09.2 023	Cement Carriage	25	40	1000
9	34/21.02 .2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	283/22.02.2 024	Cement Carriage	70	40	2800
10	36/22.02 .2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	282/29.02.2 024	Cement Carriage	60	40	2400
11	30/15.02 .2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	278/25.10.2 023	Cr.Sand	440	50	22000
				Cr. Agg.40/20mm	370	41	15170
				Cr.Agg 40mm	60	40	2400
12	38/27.02 .2024	Aman Contractor Tikker Gander Marera	284/16.10.2 023	Cr.Sand	230	50	11500
				Cr. Agg.10/20mm	110	41	4510
				Cr.Agg 40mm	270	40	10800
						Total(2)	**214360**
						TOTAL (1+2)	**498345**

नोटः—उक्त बिलो में जी.एस.टी की राशि का विभाजन अलग से नहीं किया गया था। अतः टी.डी.एस राशि की गणना कुल भुगतान की गई राशी पर की गई है।

ग्राम रोजगार सेवक Reeta
ग्राम पंचायत Seekoh
विकास खण्ड लम्बागांव

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सकोह
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

हस्ताक्षर
दिनांक...........

38